न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 58/2018

–: प्रार्थीगण :–

1. नवरतनसिंह पुत्र माधोसिंह
2. विजयसिंह पुत्र माधोसिंह
   जातियान राजपूत निवासीगण
   चावण्डिया कलां तहसील
   जैतारण जिला पाली (राज.)

बनाम

–: अप्रार्थी :–

1. तहसीलदार, तहसील–जैतारण
   जिला– पाली (राज)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.15/03/2018

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, सायल।
2. तहसीलदार जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 21/06/2018**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध गै0सा0 इस आशय का राजस्व मौजा चावण्डिया कलां में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैतृक पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 156 रकबा 53–16 बीघा किस्म चाही दोयम व खसरा नम्बर 148/4 रकबा 21–09 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिसकी जमाबंदी नकल के साथ पेश है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी जमीन के पास लगते ही खसरा नम्बर 157 रकबा 6–14 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि आई हुई है मौके पर गैर मुमकिन रास्ते के खसरे नम्बर 178 के खातेदारान ने रास्ते की भूमि को अपनी खातेदारी जमीन में मिला दिया है और प्रार्थीगण की खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 156, 148/4 में से रास्ता निकालना चाहते है जो सरासर गलत है। राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ता खसरा नम्बर 157 पर खसरा नम्बर 178 के खातेदारान ने अवरोध पैदा करके अपनी खातेदारी जमीन में रास्ते की जमीन मिलाकर मौके पर विवाद करने पर उतारू है इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 156, 148/4 का राजस्व पटवारियों की टीम गठित करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते है । पत्थरगढी करने का खर्चा प्रार्थीगण देने के लिए तत्पर है। प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी जमीन पर तारबंदी करना चाहते है मौके पर जमीन खुली होने से आवारा पशु आदि फसल को नुकसान करते है इसलिए फसल की सुरक्षा के लिए तारबंदी करने से पहले प्रार्थीगण की भूमि का नाप चोप टीम गठित कर पत्थरगढी करवाया जाना जरूरी है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी जमीन आबादी के नजदीक होने से पास में सड़क होने से आये दिन फसल का नुकसान करने से आवारा पशुओं को रोकने के लिए तारबंदी करवाने चाहते है तारबंदी करने से पहले मौके पर नाप चौप कर पत्थरगढी करवाई जाने का आदेश दिया जाना जरूरी है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–रास में पेश हुई। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण जवाब प्रा. पत्र पेश कर प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाना उचित बताया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। चूँकि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी का संक्षिप्त सुनवाई / विचारण का प्रकरण हैं। लिहाजा प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि चावण्डिया कलां में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैतृक पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 156 रकबा 53–16 बीघा किस्म चाही दोयम व खसरा नम्बर 148/4 रकबा 21–09 बीघा किस्म बारानी अव्वल का नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करावें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 21/06/2018 को राजस्व लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र–रास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner